



पत्रावली पेश हुई, तहसीलदार आसिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट 1956 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संग्रोगेशन कार्य में जमाबंदी में  एक्सरे का नक्शे में वन टू वन संग्रोग किया जा रहा है जिसमें ज्ञात आया कि  एक्सरे नं. 156 जमाबंदी में रकबा एक साथ जुमला दर्ज है जबकि मौके पर एक से अधिक टुकड़े हैं जिनको एक किया जाना संभव नहीं है। खातेदारी भूमि एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं है केवल रेकॉर्ड टूकरी के लिए नक्शे में अंकन किया जाना है। उपलब्ध रिपोर्ट जमाबंदी एवं संशोधन हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। "परिशिष्ट 01" को निर्णय का भाग घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन की स्वीकृति दी जाती है।

उपरोक्त अधिकारी
 वर
 सहायक कलेक्टर व
 सहायक कलेक्टर, आसिया